रजिस्ट्री सं० डी० एल-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2005/फाल्गुन 3, 1926

No. 183] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2005/PHALGUNA 3, 1926

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2005

का.आ. 238(अ).—कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985(1986 का 2) की धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 में नियम 9 में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए 5,000 रुपये की फीस भी देनी होगी :

परन्तु यह कि उन निर्यातकों के लिए, जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय जम्मू तथा कश्मीर और असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में है और उन्हीं राज्यों से चला रहे हैं, आवेदन-पत्रों के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केवल 1,000 रुपए की फीस होगी, यदि ऐसे निर्यातक इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के दो वर्षों के भीतर आवेदन करें"।

[फा. सं. 41/24/2004-ई.पी. (एग्री IV)]

राहुल खुल्लर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 3 सितम्बर, 1986 की सं. का.आ. 652(अ) के तहत और बाद में दिनांक 11 सितम्बर, 1998 के सं. का.आ. 806(अ) और 16 जुलाई, 2004 के सं. का.आ. 827(अ) के तहत उन्हें संशोधित किया गया था।